प्रेस विज्ञप्ति

29.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोच्चि ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से 27.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्राथमिक आरोपी अनिल कुमार, मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों और पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक डेविड जॉर्ज के नाम पर कई अचल संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों का मूल्य 27.72 करोड़ रुपये (लगभग) है।कुर्क की गई संपत्तियों में चल संपत्तियां भी शामिल हैं जैसे कि अभियुक्तों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में रखी गई बैंक शेष राशि और और वाहनों का मूल्य 16 लाख रुपये (लगभग) है।

ईडी ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के खिलाफ केरल पुलिस द्वारा दर्ज 122 प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।प्राथमिकी के अनुसार विधेय अपराध का सार यह है कि मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड में कई जमाकर्ताओं ने अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था,जिसने निवेशकों द्वारा ऐसी जमा राशियों पर भारी रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, उक्त कंपनी ने निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं की, तब भी जब वे परिपक्व हो गए और इस तरह उन्होंने उनकी गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला कि अनिल कुमार डी और डेविड जॉर्ज ने मिलकर कई जमाकर्ताओं से नकद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से इकट्ठा किए गए जमाओं के धोखाधड़ी की योजना बनाई, उन्हें उच्च ब्याज दर की पेशकश करके लुभाया और कई अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ-साथ अन्य संपत्तियों और व्यवसायों में व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इन जमाओं का उपयोग किया और इस तरह जमाकर्ताओं / निवेशकों को धोखा दिया। इसके अलावा, यह पता चला है कि इस मामले में शामिल अपराध (पीओसी) की कुल आय 44.82 करोड़ रुपये है, जिसमें से 27.88 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति  का पता लगाया गया और उन्हें कुर्क किया गया है।

ईडी ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड, मेसर्स पीआरडी कुरीज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार डी, मेसर्स पीआरडी चिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड मेसर्स ब्लू वेव्स और पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक डेविड जॉर्ज की लिमिटेड और प्रोपराइटर को पीएमएलए, 2002 के तहत 15.05.2024  गिरफ्तार भी किया है।

वर्तमान में, दोनों जिला जेल, कक्कानाड, एर्नाकुलम में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच चल रही है।